उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

: 12/2011

गणेशी बाई पुत्री स्व0 धन्नालाल पत्नि धन्नालाल जाति माली निवासी सीसवाली हाल निवासी सरोवर नगर इटावा जिला कोटा

..... प्रार्थीया

♠ बनाम ♠

1. रामगोपाल पुत्र छीतरलाल
2. हेमराज पुत्र रामगोपाल

} जातियान धाकड नि0 सीसवाली तह0 मांगरोल

....प्रतिवादीगण

कन्टेम्प्ट की कार्यवाही

पीठासीन अधिकारी : श्री हिम्मता राम मेहरा (आरएएस)
वकील वादी : श्री विरेन्द्र सिंह
वकील प्रतिवादी : श्री महेन्द्र सिंह हाडा
दायरा दिनांकः 14.12.2011 निर्णय दिनांक : 02.08.2017

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्रीमान के समक्ष अप्रार्थी कम 1 की ओर से दायर प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत 212 आरटीएक्ट ब उनवान रामगोपाल बनाम बाबूलाल वगै0 संख्या 44/06 में जर्ये काउन्अर प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी कम 1 को न्यायाधीश श्रीमान ने अपने आदेश दिनांक 17.06.2009 आदेशित किया था कि वह ग्राम सीसवाली की आराजी खसरा नं0 3331 रकबा 0.12 है0 खसरा नं0 3332 रकबा 0.06 है0 की वर्तमान स्थिति मौके एवं रिकोर्ड के अनुसार ताफैसला वाद यथास्थिति बनाये रखेगा। उस प्रार्थना पत्र में दौराने सुनवाई अप्रार्थी कम 2 धन्नालाल की मृत्यु हो जाने पर प्रार्थीया को कायम मुकाम उसके पिता धन्नालाल के स्थान पर माना जाकर सुनवाई की गई थी। अप्रार्थी कम 1 एवं अप्रार्थी कम 1 एवं अप्रार्थी 1 कम 2 ने दौराने वाद न्यायाधीश श्रीमान के आदेश दिनांक 17.06.2009 की अवहेलना करते हुये खसरा नं0 3331 रकबा 0.12 है एवं खसरा नं0 3332 रकबा 0.06 हे0 के चारो तरफ कब्जा करने की नियत से 09.12.2011 से अब तक की अवधि में कांटो की बाढ करदी। प्रार्थी ने अप्रार्थी कम 1 एवं उसके पुत्र अप्रार्थी कम 2 जो कि अप्रार्थी कम 1 के साथ कांटो की बाढ लगा रहा था को, न्यायालय श्रीमान का आदेश बताया व कहां कि आराजी का यथास्थिति बनाये रखने का आदेश हो रहा है, और आप अदालत के आदेश की अवहेलना कर रहे हो। अतः अप्रार्थी गण कम 1 ता 2 को तलब किया जाकर उनके द्वारा किये गये आदेश की अवमानना के लिये उन्हे सजायाब किया जावें।

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल

का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। हमने प्रार्थना पत्र में में अवलोकन किया गया। वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी ने अपनी कि उन्होने माननीय न्यायालय आदेश की पालना नही करने का कोई कार्य नही किया है। पत्रावली में न्यायालय निर्णय के ~~मसय~~ समय की मौका रिपोर्ट संलग्न नही है ना ही कमिश्नर रिपोर्ट का संबंध है वो पूर्व में ही बनी हुई थी जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। सम्पूर्ण विवेचनोपरान्त निष्कर्ष पर पहुचें है कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ ऐसे कोई दस्तावजे यथा नक्शा (पूर्व व मौका एवं अन्य कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किये है जिससे न्यायालय आदेश दिनांक 17.06.2009 उल्लंघन हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय आदेश भंग करने के ठोस सबूत नही होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 02.08.2017 को कोर्ट केम्प मांगरोल सरेईजलास में सुनाया गया।

(हिम्मता राम मेहरा)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल